<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

फौज़दारी अपीलीय अधिकारिता

(फौज़दारी अपील संख्या 1831/2019)

<u>(एस.एल.पी.(फौज़दारी) संख्या 10493/2019 से उत्पन्न)</u>

पी. चिदंबरम .....अपीलार्थी (गण)

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय .....प्रतिवादी (गण)

<u>निर्णय</u>

<u>ए.एस. बोपन्ना, (न्यायाधीश)</u>

अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलार्थी के द्वारा नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2019 की जमानत याचिका संख्या 2718 में पारित अंतिम आदेश दिनांकित 15.11.2019 के विरुद्ध तात्कालिक याचिका दायर की गई है जहाँ उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को नियमित जमानत प्रदान करने से इंकार कर दिया था।

3. प्रश्नगत अभियोग सी.बी.आई. द्वारा कुछ ज्ञात व अज्ञात संदिग्धों के विरुद्ध धारा 120-B सहपठित 420 दं.प्र.सं. तथा भ्र.नि. अधिनियम की धारा 8 व 13 (2) सहपठित 13 (1) (डी) के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी संख्या RC2202017-E0011 दिनांकित 15.05.2017 से उत्पन्न होता है, जिसमें आरोप है कि मै. आई.एन.एक्स. मीडिया प्राईवेट लिमिटेड (प्राथमिकी में अभियुक्त संख्या 1) ने

टेलिविज़न चैनलों के समूह के निर्माण, संचालन, प्रबंधन व प्रसारण के व्यापार में संलग्न होने के लिए पक्षपातपूर्ण आवंटन के माध्यम से कुछ इक्विटी व परिवर्तनीय, गैर-संचयी, प्रतिदेय वरीयता शेयर जारी करने हेतु अनुमति के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) का अनुमोदन मांगा। कंपनी द्वारा मैं. आई एन एक्स न्यूज़ प्राईवेट लिमिटेड (अभियुक्त संख्या 2) के जारी व बकाया इक्विटी शेयर पूंजी के 26% तक एक डाउनस्ट्रीम पूंजी निवेश करने की स्वीकृति भी मांगी गई। एफ.आई.पी.बी बोर्ड द्वारा आई.एन.एक्स. मीडिया के प्रस्ताव पर वित्त मंत्री द्वारा विचार व स्वीकृति के लिए सिफारिश की गई। हांलाकि, बोर्ड द्वारा आई.एन.एक्स. मीडिया (प्रा.) लिमिटेड के आई.एन.एक्स. न्यूज़ (प्रा.) लिमिटेड में डाउनस्ट्रीम निवेश को स्वीकृति नहीं दी गई। इसके अलावा, एफ.आई.पी.बी. इकाई द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांकित 30.05.2007 में एफ.आई.पी.बी. की बैठक में अनुमोदित प्रस्तावों का विवरण दर्शाया गया, मैं. आई.एन.एक्स. मीडिया के लिए एफ.डी.आई./एन.आर.आई. प्रवाह की मात्रा को 4.62 करोड़ रुपये दिखाया गया। एफ.आई.पी.बी. के अनुमोदन के विपरीत, मैं. आई.एऩ.एक्स मीडिया प्रा.लि. ने इरादतन व अनुमोदन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आई.एन.एक्स. न्यूज़ की पूंजी का 26% तक डाउनस्ट्रीम निवेश किया और आरोप है कि अनुमोदित 4.62 करोड़ रुपये की विदेशी आमद के मुकाबले 305 करोड़रुपये से अधिक एफ.डी.आई. भी आई.एन.एक्स मीडिया (प्रा.) लि. के लिए उत्पन्न की। इनकम टैक्स विभाग की

जांच शाखा द्वारा एक शिकायत प्राप्त होना बताया गया है, जिसमें वित्त मंत्रालय की एफ.आई.पी.बी. इकाई से स्पष्टीकरण मांगा गया है। दिनांकित 26.05.2008 के पत्र में एफ.आई.पी.बी. इकाई ने मैं. आई.एन.एक्स मीडिया लिमिटेड से स्पष्टीकरण मांगा। एफ.आई.आर में आगे आरोप है कि इस पत्र की प्राप्ति के बाद दंडात्मक कार्यवाही से बचने के लिए मैं. आई.एन.एक्स मीडिया ने श्रीमान कार्ति चिदम्बरम (एफ.आई.आर. में अभियुक्त संख्या 3, जो कि अपीलार्थी का पुत्र है) के साथ एक आपराधिक षड्यंत्र किया। आरोप है कि श्रीमान कार्ति चिदम्बरम ने एफ.आई.पी.बी इकाई के अधिकारियों पर अपने प्रभाव का प्रयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप कथित अधिकारियों ने मैं. आई.एन.एक्स. न्यूज़ (प्रा) लि. के प्रति अनुचित उपकार दर्शाया। तत्पश्चात आई.एन.एक्स. मीडिया के लिए प्राप्त किये गए निवेश को जानबूझ कर छिपाते हुए मै. आई.एन.एक्स. न्यूज़ (प्रा) लि. पुनः एफ.आई.पी.बी. इकाई के सम्मुख गए और डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए अनुमति मांगी। यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा पक्षपातपूर्वक विचारा गया और फिर तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया। एफ.आई.आर में यह भी कहा गया कि श्रीमान कार्ति चिदम्बरम ने मैं. आई.एन.एक्स समूह को प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान के रूप में प्रतिफल प्राप्त किया। जानकारी ने जाहिर किया कि मैं. आई.एन.एक्स. समूह के पक्ष में उन कंपनियों के नाम पर लगभग 3.5 करोड़ रुपये के बिल कराये गए, जिनमें श्रीमान कार्ति चिदम्बरम के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष

सतत हित थे। यहाँ पर अपीलार्थी, जो कि तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री थे, को हालांकि उक्त एफ.आई.आर. में नामित नहीं किया गया है।

4. पूर्वोक्त एफ.आई.आर. के आधार पर प्रतिवादी प्रवर्तन निदेशालय ने एफ. आई.आर. में उल्लिखित अभियुक्त के विरुद्ध अर्थशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (इसके पश्चात अ.नि.अ. के रूप में उल्लिखित) की धारा 3 के अंतर्गत एक अभियोग ECIR/07/HIU/2017 (इसके पश्चात ECIR अभियोग के रूप में उल्लिखित) दर्ज किया, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय है। उक्त ECIR अभियोग के आरोप वही थे जो पूर्वोकथित एफ.आई.आर. में थे। इस अभियोग में भी अपीलार्थी को अभियुक्त नामित नहीं किया गया।

5. दिनांक 23.07.2018 को प्रतिवादी द्वारा अपने गिरफ्तार होने की आशंका में अपीलार्थी ने पूर्वोक्त ECIR अभियोग में अग्रिम ज़मानत हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दर्ज किया। जब अपीलार्थी की अग्रिम जमानत हेतु दी गई याचिका को खारिज किया गया, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के अंतरिम संरक्षण को दिनांक 20.08.2019 तक के लिए बढ़ा दिया।

6. फिर अपीलार्थी फौजदारी अपील संख्या 1340/2019 (SLP (फौजदारी) संख्या 7523/2019 से उत्पन्न) को दर्ज कराने के माध्यम से इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत हुआ, जिसमें अपीलार्थी की अपील को खारिज करते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वर्तमान अभियोग में अपीलार्थी को अग्रिम जमानत प्रदान

करना जाँच को बाधित करेगा और विवेक का प्रयोग कर अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए यह एक उचित मामला नहीं है। उक्त निष्किर्ष पर पहुँचने के लिए इस न्यायालय ने निम्नलिखित तर्कों का उपयोग कियाः अ.नि.अ में अभिरक्षा में लेने की शक्ति का उचित प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय निहित है; नियमानुसार अग्रिम जमानत नहीं दी जानी है, विशेषतः आर्थिक अपराधों के उन मामलों में जो एक अलग दर्जे के हैं। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जांच के इस पड़ाव पर अग्रिम ज़मानत प्रदान करना जांच एजेंसी को, आरोपी से पूछताछ करने, महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने में और ऐसी सामग्री हासिल करने में जो कि शायद छुपाई गई हो, हताश कर देगा।

7. इसी बीच, 21.08.2019 को अपीलार्थी सी.बी.आई. अभियोग (उपरोक्त एफ.आई.आर. से उत्पन्न) में अभिरक्षा में ले लिया गया था। तभी से वह अभिरक्षा में है। ECIR अभियोग में 16.10.2019 को वह इस आधार पर अभिरक्षा में लिया गया कि अपीलार्थी के निर्देश पर लगभग 3 करोड़ रुपये का भुगतान उसके पुत्र द्वारा नियंत्रित कंपनियों को आई.एन.एक्स समूह के लिए एफ.आई.पी.बी. कार्य के आधार पर किया गया। इसके अलावा, अभिरक्षा में लेने के आधारों में कहा गया कि अपीलार्थी के असहयोग के कारण जांच लाभकारी नहीं हुई है; अपीलार्थी ने ऐसी प्रासंगिक जानकारी को छुपा कर रखा है कि जो केवल उसी की जानकारी में है और इसलिए उससे अभिरक्षा में पूछताछ आवश्यक है।

8. इस न्यायालय में दर्ज अग्रिम जमानत हेतु अर्ज़ी के खारिज होने के बाद अपीलार्थी ने ECIR अभियोग में विचारण न्यायालय (विशेष न्यायाधीश न्यायालय (भ्र.नि. अधिनियम) सी.बी.आई.) के सम्मुख आत्मसमर्पण की प्रार्थना करते हुए एक अपील दिनांकित 05.09.2019 प्रस्तुत की। इस अर्ज़ी को प्रतिवादी प्रवर्तन निदेशालय की इस दलील के कारण 13.09.2019 को खारिज कर दिया गया कि वह अपीलार्थी को उस विशेष पड़ाव पर अभिरक्षा में लेने का इच्छुक नहीं था क्योंकि वह धन शोधन से संबंधित कुछ पहलुओं की जांच को पूरा कर रहा था तथा केवल इसी पृष्ठभूमि पर जांच पूर्ण की गई थी, अपीलार्थी से पूछताछ सार्थक होती। इसके बाद, 11.10.2019 को प्रतिवादी प्रवर्तन निदेशालय ने अपीलार्थी की अभिरक्षा एवं रिमांड के उद्देश्य हेतु अपीलार्थी के विरुद्ध उत्पादन वारंट जारी करने की मांग करते हुए द.प्र.सं. की धारा 267 के अंतर्गत अर्ज़ी प्रस्तुत की। इस अर्ज़ी में अपीलार्थी के विरुद्ध लगाये गये आरोप यह थे कि आई.एन.एक्स. मीडिया प्राईवेट लिमिटेड को एफ.आई.पी.बी. अनुमोदन दिलाने के बदले में, अपीलार्थी/अभियुक्त के पुत्र कार्ति पी. चिदम्बरम द्वारा नियंत्रित कंपनियों के माध्यम से उन्हें व उनके पुत्र को लगभग 3 करोड़ रुपये की रकम की प्राप्ति हुई थी। हालांकि आई.एन.एक्स मीडिया ने अपनी अर्ज़ी में एफ.डी.आई. आमद की संपूर्ण राशि, जो वे लाना चाहते थे, का उल्लेख नहीं किया था, अपीलार्थी ने उनकी क्षमता को जाने बिना अनुमोदन प्रदान कर दिया था। इसके अलावा, अपीलार्थी को

आई.एन.एक्स. समूह द्वारा किये गए उल्लंघनों की संपूर्ण जानकारी हो गई थी जब यह मामला इनकम टैक्स विभाग द्वारा प्रकाश में लाया गया था और उनके द्वारा एक शिकायत मैं. आई.एन.एक्स. मीडिया द्वारा मैं. आई.एन.एक्स न्यूज़ में बिना उचित अनुमोदन के निवेश के विषय में प्राप्त भी की गई थी। इस जानकारी के बावजूद, अपीलार्थी ने आई.एन.एक्स. समूह के डाउनस्ट्रीम प्रस्ताव को एक ताज़ा अनुमोदन मानते हुए पुनः स्वीकार कर लिया था। आगे की जांच से पता चलता है कि अपीलार्थी एवं सह-साज़िशकर्ताओं द्वारा कम से कम 17 विदेशी बैंक खाते खुलवाए गए थे। इस संदर्भ में 11 व्यक्तियों को सम्मन जारी किये गए और इनमें से कुछ व्यक्तियों के बयान से पता चला कि अपीलार्थी के पुत्र के निर्देश पर विभिन्न फर्जी कंपनियों के नाम पर विदेशी संपत्ति अर्जित की गई। अतः, यह कहा गया कि एकत्रित सामग्री के साथ अपीलार्थी का सामना कराने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इस अर्ज़ी को विचारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 11.10.2019 द्वारा अनुमति दी गई। इसके उपरांत, 14.10.2019 को प्रतिवादी ने अन्य बातों के साथ अपीलार्थी को अभिरक्षा में लेने की मांग करते हुए एक अर्ज़ी प्रस्तुत की। विचारण न्यायालय ने इस अर्ज़ी को अपीलार्थी से पूछताछ हेतु अर्ज़ी के रूप में माना और इसे स्वीकृति प्रदान की। तत्पश्चात, दिनांक 16.10.2019 को, उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिया गया। आदेश दिनांकित

17.10.2019 द्वारा, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को 7 दिनों के लिए प्रतिवादी की अभिरक्षा में रिमांड पर दे दिया।

9. अपनी अभिरक्षा के बाद 23.10.2019 को अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दं.प्र.सं. की धारा 439 के अंतर्गत दृढ़ता से यह कहते हुए एक नियमित ज़मानत याचिका (ज़मानत याचिका संख्या 2718/2019) दायर की कि वह एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है जिसकी समाज में गहरी पैठ है। वह देश छोड़ कर भागने वाला नहीं है और न्यायालय द्वारा ज़मानत प्रदान करते समय लगाई जाने वाली सभी शर्तों का पालन करने का इच्छुक है। यह भी निवेदन किया गया कि वर्तमान मामला एक दस्तावेज़ी अभियोग है और एक इज़्ज़तदार नागरिक व भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री होने के नाते वह वर्तमान मामले के दस्तावेज़ी अभिलेख के साथ कोई छेड़छाड़ न तो कर सकता है और न ही करेगा जो कि फिलहाल सत्ताधारी सरकार अथवा विचारण न्यायालय के सुरक्षित व निरापद अधिकार में है। गुणागुणों के आधार पर, अपीलार्थी द्वारा यह कहा गया कि उसने एफ.आई.पी.बी. द्वारा दी गई एकमत सिफारिश के आधार पर मात्र एक अनुमोदन प्रदान किया था, जिसकी अध्यक्षता आर्थिक मामलों के सचिव द्वारा की गई थी व जिसमें पाँच अन्य सचिव थे जो कि सभी वरिष्ठतम आई.ए.एस अधिकारियों में से थे (उनमें से एक वरिष्ठ आई.एफ.एस. अधिकारी थे) और जिनका एक विस्तृत व प्रतिष्ठित सेवा रिकॉर्ड था। एफ.आई.पी.बी. की कार्य प्रणाली से परिचित किसी को भी मालूम

होगा कि किसी भी प्रस्ताव पर कोई अकेला अधिकारी फैसला नहीं ले सकता। अतः यह आरोप लगाना निरर्थक है कि कोई व्यक्ति भारत सरकार के छः वरिष्ठ सचिवों सहित एफ.आई.पी.बी. के किसी अधिकारी को प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त ECIR अभियोग एफ.आई.आर. दिनांकित 15.05.2017 व उसमें दर्ज कराये गए आरोपों की शब्दशः प्रतिलिपि है और इसलिए विशेष न्यायाधीश ने ECIR अभियोग में अपीलार्थी की रिमांड देने में चूक की है क्योंकि दोनों मामलों में कथित रूप से किए गए अपराध समान घटना से उत्पन्न हुए है और एक ही संव्यवहार के दौरान किए गए हैं। इसके अलावा, विशेष न्यायालय ने अपीलार्थी की आत्मसमर्पण याचिका को स्वीकार न करके एक गलती की है, जो कि विचारण न्यायालय के सम्मुख आत्मसमर्पण करने तक सीमित एक याचिका थी। विशेष न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण आधार पर कार्यवाही की कि अभियुक्त की वांछा जांच एजेंसी की अभियुक्त को अभिरक्षा में लेने की वांछा पर समाश्रित है और न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए अभिरक्षा में लेना एक पूर्ववर्ती शर्त है।

10. आक्षेपित आदेश के द्वारा उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी प्रवर्तन निदेशालय ने भी अपने प्रति-शपथपत्र में यह आरोप नहीं लगाया है कि अपीलार्थी देश छोड़ कर भागने वाला है। साक्ष्य से छेड़छाड़ के संदर्भ में भी न्यायालय ने पाया कि इस संदर्भ में न तो बहस की गई है और न ही अभिलेख पर इस संदर्भ में कोई सामग्री उपलब्ध है। इसके अलावा, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के साथ

छेड़छाड़ करने का कोई अवसर नहीं है क्योंकि यह जांच एजेंसियों, केंद्र सरकार अथवा न्यायालयों के पास उपलब्ध है। गवाहों को प्रभावित करने के संदर्भ में न्यायालय ने चिह्नित किया कि तीन गवाहों ने अपने बयान में कहा है कि अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों ने उन पर दबाव बनाया है और प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित होने से मना किया है। हालांकि, क्योंकि उनके बयान पहले ही दर्ज कर लिए जा चुके हैं, इस समय जबकि शिकायत दर्ज किये जाने के लिए लगभग तैयार है, न्यायालय ने यह माना है कि किसी भी गवाह को प्रभावित करने का कोई मौका नहीं है। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि सह-आरोपियों को ज़मानत दी जा चुकी है। न्यायालय इस तथ्य से भी परिचित था कि अपीलार्थी बीमारी से ग्रस्त है किंतु न्यायालय का यह मत था कि न्यायालय ने इस संदर्भ में जेल अधीक्षक को पहले ही निर्देश जारी कर दिये हैं और इसलिए इस समय अपीलार्थी के पास यह आधार अब और उपलब्ध नहीं है। न्यायालय ने यह पाया कि जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि अपराध के आगमों को छद्म कंपनियों के प्रयोग द्वारा छुपाया गया है, जिनमें से ज्यादातर केवल कागज़ पर हैं, और यह माना कि अभी तक ठोस सबूत इकट्ठे किये गए हैं कि ये छद्म कंपनियां ऐसे व्यक्तियों द्वारा समाविष्ट की गई हैं जो कि अपीलार्थी से करीबी व संबंधित दर्शाये जा सकते हैं। आगे न्यायालय ने यह माना कि वर्तमान अभियोग में अर्जित सामग्री उस सामग्री से पूर्णतः विशिष्ट, अलग व

स्वतंत्र है जो कि सी.बी.आई. द्वारा स्थापित अपराध में अर्जित की गई थी। यहाँ तक कि अ.नि.अ. जांच के गवाह भी सी.बी.आई. द्वारा की गई जांच से भिन्न हैं। उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रथम दृष्ट्या आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और अपीलार्थी ने वर्तमान मामले में महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभायी है। इन सभी अवलोकनों के आधार पर उच्च न्यायालय ने ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी।

11. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल व डा. अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा हमारे सम्मुख यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि देश छोड़कर जाने के खतरे, साक्ष्य से छेड़छाड़ व गवाहों को अपीलकर्ता के पक्ष में प्रभावित करने का तीहरा परीक्षण करने के उपरांत उच्च न्यायालय को अपीलकर्ता को नियमित जमानत प्रदान कर देनी चाहिए थी। आक्षेपित आदेश केवल इस आधार पर खारिज करने योग्य है कि एक पूर्ण रूप से असंबंधित मामले (**रोहित टंडन बनाम प्रवर्तन निदेशालय** (2018)11 एससीसी 46) के आरोपों को उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान अभियोग से संबंधित आरोपों के रूप में माना गया तथा अपीलकर्ता के विरुद्ध गुणागुणों के आधार पर निष्कर्षों को ऐसे असंबंधित अरोपों के आधार पर बनाया गया है। इसके आगे, अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विधि की इस स्थापित स्थिति के बावजूद कि जमानत याचिका के न्यायनिर्णयन के समय अभियोग के गुणागुणों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए,

अभियोग के गुणागुणों पर विचार कर तथा उनके आधार पर निष्कर्ष तैयार कर अपीलकर्ता की जमानत खारिज करने में उच्च न्यायालय द्वारा विधि में त्रुटि हुई है। इसी न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के खुद के मामले में जहाँ उसने अपने विरुद्ध सीबीआई द्वारा दर्ज अभियोग **पी. चिदंबरम बनाम सीबीआई** (फौ. अपील सं. 1603/2019) में नियमित जमानत मांगी है यह माना गया है कि "जमानत प्रदान करने के इस समय, साक्ष्यों व अभियोग के गुणागुणों को स्पर्श करने वाले विस्तारपूर्ण तर्कों के विस्तृत परीक्षण, जो कि अभियुक्त को पूर्वाग्रहित कर सकता है, से बचना चाहीए।" अपीलकर्ता की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रति-शपथपत्र में अभियोग के गुणागुणों पर लगाये गए आरोपों को प्रथम दृष्टया स्वीकार करने तथा ऐसे आरोपों को अक्षरशः निष्कर्षों में परिवर्तित करने तथा कथित निष्कर्षों के आधार पर अपीलकर्ता को जमानत प्रदान करने से इंकार करने में उच्च न्यायालय द्वारा गलती हुई है। गुणागुणों के आधार पर, अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वह किसी भी कथित रूप से संबंधित संस्थान का न तो हिस्सेदार है और न ही निदेशक और न ही उसका इनमें से किसी भी संस्थान के साथ कोई संबंध है। अपीलकर्ता को धनशोधन के कथित अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ने वाली किसी भी सामग्री को न तो अभी तक अपीलकर्ता के सामने प्रस्तुत किया गया है और न ही रिकॉर्ड पर उच्च न्यायालय के सम्मुख रखा गया है। इसके अलावा, उन 12 अधिकारियों को

जिन्होंने आईएनएक्स मीडिया के एफडीआई प्रस्ताव की मंजूरी से संबंधित फाईल पर हस्ताक्षर किए थे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। केवल अपीलकर्ता, जो कि 13वां हस्ताक्षरकर्ता है, को ही गिरफ्तार किया गया व उसकी जमानत नामंजूर की गई है। यही नहीं, वर्तमान इ.सी.आई.आर. अभियोग के अन्य सभी सह-अभियुक्तों को भी या तो जमानत प्रदान की जा चुकी है या फिर उनको गिरफ्तार ही नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय इस बात की भी सराहना करने में विफल रहा कि स्थापित अपराध एफआईआर में अपने आदेश दिनांकित 22.10.2019 द्वारा यह न्यायालय अपीलार्थी को पहले से ही नियमित ज़मानत प्रदान कर चुका है। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की ज़मानत को इन स्पष्ट आधार पर खारिज़ करने में गलती की है कि अरोप एक गंभीर प्रकृति के हैं। अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की यह दलील है कि अपराध की गंभीरता का निर्धारण नियत किए गए दंड की कठोरता से होता है। वर्तमान मामले में, अर्थशोधन का कथित अपराध एक ऐसी अवधि के कारावास द्वारा दंडनीय है जो 7 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतः यह अपराध **संजय चन्द्र बनाम सीबीआई**, (2012) 1 SCC 40 में इस न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय के अनुसार 'संगीन' या 'गंभीर' नहीं है। उच्च न्यायालय को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए था कि अपीलार्थी एक 74 वर्षीय बुज़ुर्ग व्यक्ति है जिसकी सेहत नाज़ुक है और 16.10.2019 से 30.10.2019 के बीच प्रतिवादी प्रवर्तन निदेशालय

की न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने के दौरान और उसके उपरांत 30.10.2019 से आज तक न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने के दौरान, अपीलार्थी को कई बार पेट के जीर्ण और निरंतर दर्द का सामना करना पड़ा है, जिसके लिए विभिन्न मौकों पर (उदाहरण के लिए 23.10.2019, 26.10.2019, 28.10.2019, 30.10.2019 और 01.11.2019 पर) उन्हें परामर्श, निदान और जाँच के लिए एम्स व डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया था। अपीलार्थी की सेहत निरंतर बिगड़ रही है और ठंड के मौसम की शुरुआत के साथ अपीलार्थी और अधिक संवेदनशील हो जाएगा।

12. हालांकि 05.09.2019 से 16.10.2019 के बीच अपीलार्थी अभिरक्षा में उपलब्ध था तब प्रतिवादी ने पूछताछ नहीं की परंतु रिमांड की अवधि की मांग 17.10.2019 और 24.10.2019 को की गई, हालांकि तीसरी रिमांड की मांग को खारिज कर दिया गया और तदानुसार रिमांड की अवधि 30.10.2019 को समाप्त हो गई। इस आशय से रिमांड की मांग करने के बावजूद किसी भी साक्षी से सामना नहीं कराया गया। यह तर्क दिया गया है कि जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया संचालित की जा रही है वह सिर्फ इस उद्देश्य से है कि अपीलार्थी अभिरक्षा में रहे। यह तर्क दिया गया कि अनुचित प्रक्रिया को अपनाकर अपीलार्थी की स्वतंत्रता को इस प्रकार से नकारा नहीं जा सकता। हालांकि काफी कुछ साफ होना बाकी है जैसे कि किया गया अपराध संगीन है यह दर्शाने के लिए नितान्त रूप से कोई सामग्री

उपलब्ध नहीं है कि अपीलार्थी शामिल है और अन्यथा भी यह विचारण का विषय है जिसमें आरोपों का निर्धारण होना है। गंभीरता केवल विधि में प्रदत्त कारावास की अवधि को उत्पन्न कर सकती है तथा यह दावा करने से कि अपराध गंभीर है, जमानत प्रदान करने से रोका नहीं जा सकता। प्रतिवादी यह दलील नहीं दे सकता कि अपीलार्थी को तब तक अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए जब तक कि अभियोग समाप्त होता है।

13. विद्वान महान्यायवादी, श्री तुषार मेहता द्वारा याचिका का विरोध करते समय प्रतिवादी की ओर से दाखिल प्रति-शपथपत्र का संदर्भ लिया गया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि साक्ष्य से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है व किसी भी साक्षी को प्रभावित नहीं किया गया है तथा अंततः जमानत से इंकार कर दिया गया है, ऐसा निष्कर्ष न्यायसंगत नहीं है। यह दलील प्रस्तुत की गई कि अपीलार्थी अत्यधिक उच्च पद पर रहे हैं तथा उनकी प्रतिष्ठा के कारण भी संभवतः साक्षियों को प्रभावित कर सकते हैं तथा एक साक्षी द्वारा पहले ही यह संकेत भी किया गया है कि वह भी उसी राज्य से आते हैं जहाँ के अपीलार्थी भी हैं तथा वे आमना-सामना कराए जाने के उद्देश्य से प्रस्तुत होने की स्थिति में नहीं हैं। अतः उस संदर्भ में भी इसे अपीलार्थी के विरुद्ध माना जाना चाहिए। इसके आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अन्यथा भी अपीलार्थी के पक्ष में तिहरा परीक्षण किये जाने के बावजूद अपराध की गंभीरता

को एक स्वयं में ही पर्याप्त पहलू के रूप में माना जा सकता है क्योंकि ज़मानत पर विचार करते समय एक विशिष्ट मामले में अपाराध की गंभीरता भी महत्वपूर्ण होती है। उस परिस्थिति में, यह दर्शाने के लिए कि अभियुक्त अभिरक्षा में या अन्यथा भी, साक्षियों पर प्रभाव रखता है, अपराध घटित होने की शैली, अपराध की गंभीरता व तत्कालीन दस्तावेज़ वे तीन पहलू हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। अतः, वे यह दलील प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय का अभी तक का निष्कर्ष जो यह कहता है कि अपीलार्थी द्वारा छेड़छाड़ नहीं की गई है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। विद्वान महान्यायवादी आगे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि आर्थिक अपराध अधिक गंभीर अपराध होते हैं जो समाज को प्रभावित करते हैं तथा समुदाय को कष्ट भोगना पड़ता है। आम आदमी संस्थान में विश्वास खो देता है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जांच एजेंसी द्वारा दस्तावेज़ी साक्ष्य एकत्र किए गए हैं जैसे कि अपीलार्थी की ओर से सह-षड़यंत्रकारियों के मध्य आदान-प्रदान किए गए ई-मेल तथा शोधित धन के बेनामी सम्पत्तियों में निवेश की ओर संकेत करते दस्तावेज़ जिसके लाभार्थी स्वामियों को अपीलार्थी व उसके परिवार के सदस्यों से संबंधित पाया जा सकता है। प्रतिवादी द्वारा महत्वपूर्ण साक्षियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं जो धन शोधन की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। उनका यह तर्क है कि अपीलार्थी को इन सभी पहलुओं की जानकारी है तथा सामग्री 16 कंपनियों का शेयर धारिता स्वरूप प्रदर्शित करेगी। इसके अतिरिक्त यह तर्क प्रस्तुत

किया गया कि उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत किये गए दस्तावेज़ों का संदर्भ लिया गया तथा उसके आलोक में ही वे ज़मानत को नामंजूर करने के निष्कर्ष पर पहुँचे। हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा अभिलेखबद्ध किए जाने के दौरान उचित रूप से यह विचार नहीं किया गया कि शिकायत दर्ज किए जाने हेतु तैयार है तथा इसलिए, वह साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा। भले ही शिकायत/आरोप-पत्र 60 दिनों में दाखिल किया जाता है, यह केवल चूकने से बचने के लिए है और जाँच जो कि पूरी नहीं है जारी रहेगी। इस आलोक में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जब आर्थिक अपराध पूर्वनियोजित होते हैं सामग्री खोजकर निकालने हेतु विस्तृत जाँच की आवश्यकता होगी और, ऐसी परिस्थितियों में, यदि ज़मानत प्रदान की जाती है यह अभियोजन के अभियोग को परास्त कर देगा। विद्वान महान्यायवादी द्वारा निर्णयों का भी संदर्भ लिया गया जिन पर उचित इस समय ध्यान दिया जाएगा।

14. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दलीलों के उत्तर में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह दर्शाने के लिएकि अपीलार्थी अपराध में शामिल है एक भी दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है। प्रतिवादी की ओर से जैसा कि अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य से छेड़छाड़ व साक्षियों को प्रभावित करने का आरोप बनाने की मांग की गई है वह इस कारण से स्वीकार नहीं की जा सकती है कि कथित अपराध वर्ष 2007-08 का है और हालांकि कार्यवाही वर्ष 2017 में शुरू की गई थी, अपीलार्थी को वर्ष 2019

में ही गिरफ्तार किया गया था। ऐसी स्थिति में, जब अपीलार्थी द्वारा स्वतंत्र रहते हुए भी किसी व्यक्ति को प्रभावित नहीं किया गया, अभिरक्षा में रहते हुए छेड़छाड़ करने का आरोप स्वीकार्य नहीं है। कथित साक्षियों के बयान को वर्ष 2018 में दर्ज किया जाना बताया गया है तथा प्रतिवादी का यह अभियोग कि वे साक्षियों का आमना-सामना कराने की मांग कर रहे हैं केवल यह संकेत करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है कि उनको अभी भी अपीलार्थी की अभिरक्षा की आवश्यकता है। जब यह दर्शाने के लिए कि अपीलार्थी शामिल है कोई भी साक्ष्य उपस्थित नहीं है, सह-षड़यंत्रकारियों के विरुद्ध मात्र आरोप इसका आधार नहीं हो सकता कि अपीलकर्ता द्वारा एक आर्थिक अपराध को अंजाम दिया गया है। इस आलोक में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार किया जाए।

15. हालांकि हमनें मामले को विस्तारपूर्वक सुना है और दोनों पक्षों की दलील को अत्यधिक विस्तार से वर्णित किया है जिसमें वो जहाँ मामले के गुणागुणों पर बल दिया गया शामिल हैं। हम इस तथ्य से अभिज्ञ हैं कि प्रस्तुत अपील में ध्यान अपीलकर्ता द्वारा दं.प्र.स. की धारा 439 के अंतर्गत मांगी गई नियमित ज़मानत तक सीमित है। ऐसा कहते समय, मामले को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए फौजदारी अपील सं. 1603/2019 में इसी अपीलार्थी बनाम सी.बी.आई के अभियोग में हमारे द्वारा किए गए निष्कर्षों पर ध्यान देना उपयुक्त होगा जो कि निम्नानुसार हैं;

> "जमानत प्रदान करने के क्षेत्राधिकार का प्रयोग सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करना होगा। एक जमानत याचिका पर विचार करते समय निम्न कारकों पर ध्यान दिया जाना हैः- (i) आरोपों की प्रकृति तथा दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की कठोरता और अभियोजन द्वारा विश्वास जताई गई सामग्री की प्रकृति; (ii) साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की तार्किक आशंका या शिकायतकर्ता या साक्षियों को ख़तरे की आशंका; (iii) विचारण के समय अभियुक्त की उपस्थिति निश्चित करने की तार्किक संभावना या उसकी फरारी की संभावना; (iv) अभियुक्त का चरित्र व्यवहार व स्थिति तथा अभियुक्त की विलक्षण परिस्थितियाँ (v) जनता या राज्य का व्यापक हित तथा ऐसे अन्य विषय (देखें प्रहलाद सिंह भाटी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली व अन्य (2001) 4 एस.सी.सी 280)। ज़मानत प्रदान करने या न करने से संबंधित कोई भी निश्चित नियम नहीं है। प्रत्येक मामले पर तथ्यों व प्रत्येक मामले की प्ररिस्थितियों तथा उसके अपने गुणागुणों के आधार पर विचार करना होगा। न्यायालय के विवेक का उपयोग न्यायसंगत रूप से करना होगा न कि एक मनमाने ढंग से।"

16. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, यहाँ आक्षेपित आदेश दिनांकित 15.11.2019 का अवलोकन यह इंगित करता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यहाँ तक कि धारा 439 दं.प्र.स. के अंतर्गत नियमित जमानत प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तिहरे परीक्षण या त्रिपदी परीक्षण में विरोधी दलीलों पर ध्यान देने के बाद, इसका उत्तर, यहाँ अपीलार्थी के पक्ष में, आदेश के पैरा 50 से 53 में दिया है। हालांकि विद्वान महान्यायवादी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि भले ही 'देश छोड़कर भागने के खतरे' पर निष्कर्ष के संदर्भ में अधिक समस्या नहीं है,

छेड़छाड़ व साक्षी को प्रभावित करने की संभावना के निष्कर्षों पर उनके सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया है। उस संदर्भ में निष्कर्ष को हथियार नहीं बनाया गया है तथा ऐसी स्थिति में, हमारे विचार में अपीलकर्ता को अप्रत्याशित रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अन्यथा भी जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से पाया गया है कि बताए गए एकत्रित साक्ष्य एवं सामग्री पहले से ही जाँच एजेंसी के पास उपलब्ध हैं। हालांकि विद्वान महान्यायवादी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभी भी और सामग्रियाँ एकत्र की जानी हैं तथा साक्ष्य हेतु प्रार्थना पत्र जारी कर दिया गया है तथा इस प्रकार की छेड़छाड़ को नकारा नहीं जा सकता है। वर्तमान परिस्थिति में अपीलार्थी न तो राजनीतिक सत्ता में है और न ही वर्तमान सरकार में उनके पास कोई पद है जिससे वे हस्तक्षेप करने की स्थिति हो। इस परिप्रेक्ष्य में ऐसे आरोपों को प्रथम दृष्टया स्वीकार नहीं किया जा सकता है। साक्षी द्वारा यह लिखे जाने के संदर्भ में कि वह एक ही राज्य से होने के कारण आमना-सामना करने के लिए तैयार नहीं है, इसके लिए अपीलार्थी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जब यह संकेत करने के लिए कोई सामग्री उपस्थित नहीं है कि अपीलार्थी या उसकी ओर से किसी के द्वारा संबंधित साक्षी को अवरुद्ध किया गया या धमकी दी गई है जिसने अपीलार्थी से अभिरक्षा में सामना कराए जाने से इंकार कर दिया था।

17. अतः ध्यान योग्य अन्य पहलू केवल यह है कि उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा, अपीलार्थी के पक्ष में किए गए तिहरे परीक्षण के बावजूद, आगे किया गया विचार न्यायसंगत है या नहीं और यदि यह विचार अनुज्ञेय है, तो विद्वान न्यायाधीश अपने निष्कर्ष में न्यायसंगत है या नहीं।

18. अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई दलील कि उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश को तिहरे परीक्षण तथा इसको अपीलार्थी के पक्ष में करने के विचार से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था का विरोध करते समय विद्वान महान्यायावादी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि ज़मानत के मामले में अपराध की गंभीरता व अभियुक्त की भूमिका भी विचार का हिस्सा होना चाहिए। विद्वान महान्यायवादी द्वारा यह दलील प्रस्तुत की गई कि आर्थिक अपराध एक भिन्न दर्जे का होता है और ज़मानत पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता एक अत्यधिक प्रासंगिक कारक है। यह तर्क करने के लिए कि इस पहलू पर न्यायासंगत रूप से विचार किया गया है, **बिहार राज्य व अन्य बनाम अमित कुमार,**(2017) 13 एस.सी.सी. 751; **निम्मागड्डा प्रसाद बनाम सीबीआई,** (2013) 7 एस.सी.सी. 466; **सीबीआई बनाम रामेन्दु चट्टोपाध्याय,** फौजदारी अपील संख्या 1711/2019; **सीनियर्स धोखाधड़ी जाँच कार्यालय बनाम नितिन जोहरी व अन्य,** (2019) 9 एस.सी.सी. 165; **वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम सीबीआई**, (2013) 7 एस.सी.सी. 439; **गुजरात राज्य बनाम मोहनलाल**

जीतामलजी पोड़वाल, (1987) 2 एस.सी.सी. 364 के अभियोग में किए गए निर्णयों पर विश्वास जताया है। उद्धरित निर्णयों का अवलोकन यह दर्शाता है कि इस न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि एक अलग दर्जे का होने से जो कि गहरे षड़यंत्रो से उत्पन्न होता है, आर्थिक अपराध भी गंभीर प्रकृति के होते हैं तथा ज़मानत पर विचार करते समय इसके संपूर्ण समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए।

19. ऊपर उल्लिखित अभियोगों के निष्कर्षों पर तथा उस संदर्भ में प्रतिपादन पर ध्यान देने के बाद, अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आश्रय लिए गए निर्णयों तथा ज़मानत याचिका पर विचार हेतु प्रस्तुत सिद्धांतों पर हमारा ध्यान देना आवश्यक होगा। अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा **श्री गुरूबक्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य**, (1980) 2 एस.सी.सी 565 में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का आश्रय पैरा 27 के संदर्भ के साथ लिया गया है जो कि निम्नानुसार हैः

> "सामान्य ज़मानत के अधिकार से संबंधित निर्णयों पर ध्यान देना अनिवार्य नहीं है क्योंकि वह अधिकार अग्रिम ज़मानत के अधिकार के एकदम समानांतर नहीं है। हालांकि यह रोचक है कि यहाँ तक 1924 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नागेंद्र बनाम किंग-एंपर्र [ए.आई.आर 1924 Cal 476, 479, 480 : 25 Cri LJ 732] में यह माना गया था कि ज़मानत का उद्देश्य विचारण के समय अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, कि ज़मानत प्रदान की जाए या नहीं इस प्रश्न

को हल करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपयुक्त परीक्षण यह है कि एक पक्ष की अपने विचारण हेतु उपस्थित होने की संभावना है या नहीं तथा कि यह अविवादित है कि ज़मानत को दंड के रूप में अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। दो अन्य मामलों में जो कि, महत्वपूर्ण रूप से, 'मेरठ षड़यंत्र अभियोग' हैं ज़मानत के अधिकार से संबंधित निष्कर्षों को खोजने की आवश्यकता है जो विशेष उल्लेख के योग्य हैं। के.एन. जोगलेकर बनाम एंपेर्र [एआईआर 1931 आल 504 : 33 Cri LJ 94] में संहिता की धारा 498 जो कि वर्तमान धारा 439 से मेल खाती है पर चर्चा के दौरान यह माना गया कि यह सत्र न्यायालय को या उच्च न्यायालय को ज़मानत प्रदान करने हेतु व्यापक शक्ति प्रदान करता है जो कि पूर्ववर्ती धारा 497 जो वर्तमान धारा 437 से मेल खाती है, के प्रतिबंधों द्वारा अक्षम नहीं होती हैं। न्यायालय द्वारा यह माना गया कि धारा 498 द्वारा प्रदत्त विवेक के उपयोग को संचालित करने वाला कोई भी निश्चित नियम व कठोर सिद्धांत उपस्थित नहीं था तथा यह कि एक मात्र सिद्धांत जो स्थापित किया गया, यह था कि विवेक का उपयोग न्यायसंगत रूप से किया जाना चाहिए। एंपर्र बनाम हचिंसन [एआईआर 1931 आल 356, 358 : 32 Cri LJ 1271] में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्वयं विधायिका द्वारा न्यायालय के विवेक को स्वतंत्र छोड़ा गया है, यह कहा गया था कि ऐसा कोई भी विशेष नियम बनाने का प्रयास करना मूर्खता है जो उच्च न्यायालय को बांधेगा। उच्च न्यायालय के अनुसार, मामलों की विविधता जो समय-समय पर उतपन्न होती है को सुरक्षित रूप से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है तथा मामलों को वर्गीकृत करने का प्रयास करना तथा यह कहना कि एक विशेष वर्ग में ज़मानत प्रदान की जा सकती है परंतु अन्य वर्गों में नहीं संकटपूर्ण है। यह माना गया कि दंड प्रक्रिया संहिता में विभिन्न धाराओं से निकाले जाने वाला सिद्धांत यह था कि ज़मानत प्रदान करना नियम है तथा इंकार करना अपवाद। एक अभियुक्त व्यक्ति अभिरक्षा में रहने की तुलना में, यदि वह स्वतंत्र है तो अपने अभियोग की

> देखरेख व स्वयं का बचाव करने हेतु अधिक अच्छी परिस्थिति में होता है। एक संभावित निर्दोष व्यक्ति के रूप में वह इसलिए स्वतंत्रता एवं अपने स्वयं के अभियोग की देखरेख करने के प्रत्येक अवसर का अधिकारी है। एक संभावित निर्दोष व्यक्ति को अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने हेतु स्वतंत्रता आवश्यक रूप से प्रदान की जानी चाहिए।"

हमनें उल्लिखित निर्णय पर ध्यान दिया है जबकि उसमें निष्कर्ष ऐसी परिस्थिति में किया गया था जहाँ धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम ज़मानत याचिका पर विचार किया गया था, संविधान पीठ द्वारा ज़मानत से संबंधित मामले के संपूर्ण सारांश पर विचार किया गया है।

20. अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा **संजय चंद्रा बनाम सीबीआई**, (2012) 1 एस.सी.सी 40 में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा पैरा 39 के विशिष्ट संदर्भ के साथ किया गया है जो कि निम्नानुसार हैः

> "वर्तमान अभियोग के तथ्यों पर लौटते हुए, दोनों ही न्यायालयों द्वारा दो आधारों पर ज़मानत प्रदान करने से इंकार कर दिया गया हैः प्राथमिक आधार यह है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध गहरी योजना युक्त अत्यधिक गंभीर है जिसमें, राज्य के राजकोष को भारी हानि हुई है; दूसरे दर्जे का आधार अभियुक्त द्वारा साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना का है। वर्तमान मामले में आरोप धोखाधड़ी का तथा बेईमानी से संपत्ति के वितरण को उत्प्रेरित करने व एक जाली दस्तावेज़ को वास्तविक के रूप में उपयोग करके धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से जालसाज़ी का है। इस अपराध के लिए अधिकतम सात साल की अवधि तक के कारावास का दंड है। यह निःसंदेह सत्य है कि आरोप की प्रकृति प्रासंगिक हो सकती है, किंतु उसी समय, यदि दोष सिद्ध होता है

> तो दंड जिसके लिए वह पक्ष उत्तरदायी हो सकता है भी मामले पर वहन होगा। इसलिए, यह निश्चित करने में कि ज़मानत प्रदान की जाए या नहीं, आरोप की गंभीरता व दंड की कठोरता दोनों पर ही विचार किया जाना चाहिए।"

कथित मामला आर्थिक अनियमितताओं का मामला है तथा कही गई परिस्थितियों में इस न्यायालय द्वारा अत्यधिक आर्थिक हानि का कारण बनी गहरी योजना पर ध्यान देने के साथ-साथ दोषसिद्ध होने पर कैद की अवधि सात साल होने की पृष्ठभूमि में ज़मानत के संबंध में विचार करने की गुंजाइश पर विचार किया गया है तथा उस संबंध में यह माना गया है कि ज़मानत प्रदान करने या न करने का निश्चय करने में, आरोप की गंभीरता एवं दंड की कठोरता पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

21. अतः इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा किए गए निर्णय सहित दोनों ओर से उल्लेख किए गए निर्णयों के संपूर्ण अवलोकन के पश्चात, यह निष्कर्षित किया जा सकता है कि ज़मानत से संबंधित मूल विधि अपरिवर्तित रहती है, यहाँ तक कि ज़मानत प्रदान करना नियम है तथा इंकार करना अपवाद ताकि अभियुक्त के पास एक उचित विचारण प्राप्त करने का अवसर सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि, इस पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता एक पहलू है जिसे न्यायालय द्वारा ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। कथित उद्देश्य की गंभीरता को प्रत्येक मामले में उत्पन्न होने वाले तथ्यों एवं परिस्थितियों से एकत्र

करना होगा। वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में समाज पर पड़ने वाले परिणामों को ध्यान में रखते हुए, यह माना गया है कि आर्थिक अपराध भी “गंभीर अपराध” की श्रेणी में आएंगे तथा ऐसी परिस्थितियों में ऐसे मामलों में ज़मानत याचिका पर विचार करते समय, अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहते हुए न्यायालय को उसी पर विचार करना होगा। कारावास की अवधि जो कि अभियुक्त द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध हेतु निर्धारित की गई है, भी अपराध की गंभीरता पर विचार करने हेतु परिस्थितियों में से एक है। अपराध की गंभीरता के संदर्भ में ऐसा विचार सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले तीहरे परीक्षण या त्रिपदी परीक्षण के साथ ही एक अतिरिक्त कारक है। उस संदर्भ में जो ध्यान में रखने वाली बात है वह यह भी है कि यदि आरोप गंभीर आर्थिक अपराध का भी है, यह कोई नियम नहीं है कि हर मामले में ज़मानत नामंजूर की जानी चाहिए क्योंकि न तो विधायिका द्वारा पारित प्रासंगिक अभिनियमिति में ऐसा कोई अवरोध बनाया गया है और न ही ज़मानत संबंधी विधि ऐसा प्रदत्त करती है। अतः महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि आरोप की प्रकृति व गंभीरता के बावजूद, ज़मानत की मंजूरी या नामंजूरी का आधार मात्र एक अन्य अभियोग का पूर्व निर्णय नहीं होगा हालांकि सिद्धांत से इसका अभिप्राय हो सकता है। किंतु अलग-अलग मामलों में शामिल तथ्यों के आधार पर तथा विचारण का

सामना करने अंततः उन पर विचार हेतु अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करके करना होगा।

22. उपरोक्त परिस्थिति में यह स्पष्ट होगा कि तीहरे परीक्षण के अपीलार्थी के पक्ष में होने के बावजूद उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा अपराध की गंभीरता के मामले का उल्लेख न्यायसंगत है। हालांकि, हम पैरा 57 से 62 में दर्ज निष्कर्षों की शैली को अस्वीकृत करते हैं जहाँ पर निष्कर्षों को आरोपित अपराध से संबंधित निष्कर्षों की प्रकृति का होना प्रतिबिंबित किया गया है। अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा ऊपर उल्लिखित अनुच्छेदों में निहित कुछ निष्कर्षों के विशेष संदर्भ द्वारा यह संकेत किया गया है कि प्रति-शपथपत्र के अनुच्छेद 17, 20 व 24 में निहित दलीलों को ही इस प्रकार से समाविष्ट किया गया है मानो ये न्यायालय के निष्कर्ष हों। विद्वान महान्यायवादी ऐसी दलील का विरोध करते समय हालांकि यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि प्रति-शपथपत्र के अतिरिक्त प्रतिवादी द्वारा सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज़ भी प्रस्तुत किए गए हैं जिन पर विद्वान न्यायाधीश द्वारा ध्यान दिया गया तथा निष्कर्ष पर पहुँचा गया था।

23. यह प्रश्न कि ज़मानत पर विचार करते समय न्यायालय दस्तावेज़ों पर विचार कर सकता है या नहीं, विचार हेतु दोनों ही पक्षों के बीच अभियोग में फौजदारी अपील संख्या 130/2019 में उत्पन्न हुआ, था जहाँ आदेश दिनांकित

20.08.2019 जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने ज़मानत को नामंजूर कर दिया था, से संबंधित मामले पर विचार करते समय इस न्यायालय के द्वारा दिनांकित 05.09.2019 निर्णय द्वारा यह माना गया था कि न्यायालय जाँच के समय एकत्रित सामग्रियों/दस्तावेज़ों को प्राप्त करने व अपनी चेतना की संतुष्टि हेतु कि जाँच सही दिशा में बढ़ रही है तथा ज़मानत/अग्रिम ज़मानत आदि पर विचार करने के उद्देश्य से उनके अवलोकन हेतु स्वतंत्र होगा। उसी समय, इस न्यायालय द्वारा कथित मामले में उस शैली को अस्वीकृत किया गया है जिसमें उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत एक पत्र को अक्षरशः उद्धृत किया गया है। यदि यह स्थिति है, प्रस्तुत मामले में, सामग्रियों का अवलोकन करते समय विद्वान न्यायाधीश द्वारा उनके सम्मुख प्रस्तुत सामग्रियों के आधार पर निष्कर्ष को दर्ज नहीं किया जाना चाहिए था। जबकि विद्वान न्यायाधीश के पास अपने अंतःकरण की संतुष्टि हेतु सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत सामग्री के अवलोकन का अधिकार था, विद्वान न्यायाधीश द्वारा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत सामग्री के आधार पर निष्कर्षों को दर्ज नहीं किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, इस निर्णय के पश्चात, में अपीलार्थी के इसी मामले का निर्णय करते समय इस न्यायालय द्वारा फौजदारी अपील संख्या 1340/2019 जान-बूझकर सीलबंद लिफाफे को खोलने व दस्तावेज़ों के अवलोकन से बचा गया कदाचित उसी के अवलोकन के पश्चात उस पर कुछ निष्कर्ष किये गए हैं, जो अभियुक्त के पूर्व-

विचारण को नुकसान पहुँचाएगें। उस परिस्थिति में, हालांकि यह माना गया है कि न्यायालय दस्तावेज़ो के अवलोकन हेतु स्वतंत्र होगा, यह न्यायसंगत विचारण के सिद्धांत के विरुद्ध होगा यदि प्रत्येक मामले में अभियोजन सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करेगा तथा उसी पर निष्कर्षों को दर्ज किया जाएगा मानो कि अपराध को अंजाम दिया गया है तथा उसी को ज़मानत मंजूर अथवा नामंजूर करने का आधार माना जाए।

24. यह कहने के उपरांत, वर्तमान परिस्थितियों में हम सीलबंद लिफाफे को खोलने हेतु अत्यधिक इच्छुक नहीं थे हालांकि सीलबंद लिफाफे में सामग्रियों को प्रतिवादी से प्राप्त किया गया था। हालांकि, क्योंकि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सीलबंद लिफाफे में उपस्थित दस्तावेज़ों का अवलोकन किया गया था तथा कुछ निष्कर्ष किए गए थे व क्योंकि उस आदेश को चुनौती दी गई है, सीलबंद लिफाफे को खोलना तथा स्वयं को उस सीमा तक संतुष्ट करने हेतु उन सामग्रियों का अवलोकन करना हमारे लिए भी अनिवार्य हो गया था। अवलोकन करने पर हमनें यह पाया कि संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए हैं व एकत्रित विवरणों का मिलान किया जा चुका है। बयानों का अभिलेखन व सामग्री का मिलान एक सह-आरोपी कार्ति चिदंबरम - अपीलार्थी के पुत्र के विरुद्ध लगाए गए छद्म कंपनियाँ खोलने व संबंधियों के नाम पर देश के विभिन्न हिस्सों में बेनामी संपत्तियों को खरीदने के आरोप की प्रकृति के अनुरूप है। इसी को दर्ज

करने के अलावा, हम इससे ज्यादा दस्तावेज़ों का उल्लेख करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि अंततः, ये वे आरोप हैं जिन्हें विचारण में स्थापित करना होगा जहाँ अभियुक्त/सह-अभियुक्त के पास अपना पक्ष सम्मुख प्रस्तुत करने का अवसर होगा, यदि कोई है तो, तथा एक अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा। अतः हमारे मत में, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा सीलबंद लिफाफे की सामग्री के आधार पर दर्ज किया गया निष्कर्ष न्यायसंगत नहीं है।

25. अतः, इस समय अपीलार्थी की ज़मानत याचिका पर विचार करते समय यहां पर जिस विषय का ध्यान रखना है वह यह है कि, एक इस समय जब अपीलार्थी अंतरिम सुरक्षात्मक/अग्रिम ज़मानत हेतु एक अपील के माध्यम से इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत हुआ था, इस न्यायालय द्वारा फौजदारी अपील संख्या 1340/2019 में मामले पर विचार करते समय उस संदर्भ में यह माना था कि वर्तमान प्रकृति के मामले में जहाँ गंभीर आर्थिक अपराध आरोपित किया गया है, अभिरक्षा में पूछताछ, जैसा कि तर्क किया गया है, आवश्यक होगी तथा उस परिस्थिति में अग्रिम ज़मानत नामंजूर की गई थी। इसके बाद अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिया गया तथा पूछताछ की गई व कथित उद्देश्य हेतु अपीलार्थी 16.10.2019 से अभिरक्षा में उपलब्ध था। हालांकि, प्रतिवादी की ओर से यह तर्क किया गया है कि साक्षियों से आमना-सामना करना होगा तथा इस प्रकार उस उद्देश्य हेतु अभिरक्षा की आवश्यकता है। जैसा कि उल्लेख किया गया है,

अपीलार्थी को ECIR में एक अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किया गया है किंतु सह-अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लगाते समय यह संकेत किया गया है कि अपीलार्थी जो उस समय वित्त मंत्री थे, द्वारा अवैध लेनदेन में साहयता की गई है क्योंकि एक सह-अभियुक्त अपीलार्थी का पुत्र है। इस संदर्भ में यदि अभिलेख में उपस्थित बयानों तथा एकत्रित सामग्रियों पर ध्यान भी दिया जाए, विचारण में अपीलार्थी की सहभागिता को स्थापित करना होगा व यदि दोषसिद्धि होती है, अपीलार्थी को सज़ा होगी। अभी के लिए, जैसा कि देखा जा चुका है पूर्व में अग्रिम ज़मानत को नामंजूर कर दिया गया था तथा अपीलार्थी 45 से अधिक दिनों के लिए अभिरक्षा में पूछताछ हेतु उपलब्ध था। अभिरक्षा में पूछताछ के अतिरिक्त यदि आगे जांच की जानी है, अपीलार्थी ऐसी जांच में भाग लेने हेतु बाध्य होगा जैसी भी प्रतिवादी कि आवश्यकता होगी। इसके अलावा यह पाया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा सह-अभियुक्तों में से एक को ज़मानत प्रदान की जा चुकी है जबकि दूसरा सह-अभियुक्त हिरासत से अंतरिम सुरक्षा का लुत्फ उठा रहा है। अपीलार्थी की आयु 74 वर्ष है व जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्वयं उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी पहले ही बीमारी के दो दौरों की पीड़ा भोग चुका है तथा ऐन्टिबायोटिक औषधियाँ ले रहा है व उसे उच्चतम क्षमता वाली स्टेरोइड्स लेने का परामर्श दिया गया है। उस परिस्थिति में, आगे की जाँच, पूछताछ व विचारण का सामना करने के लिए अपीलार्थी की उपलब्धता का संकट

नहीं है तथा पहले ही मान लिया गया है कि वह एक 'भगौड़ा' नहीं है व साक्ष्यों से छेड़छाड़ या साक्षियों को प्रभावित/भयभीत करने की कोई संभावना नहीं है। इन्हें तथा अभिरक्षा की अवधि सहित अन्य सभी तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे मतानुसार अपीलार्थी ज़मानत प्रदान किए जाने का अधिकारी है। यह स्पष्ट किया जा चुका है कि उच्च न्यायालय अथवा इस न्यायालय के आदेश में उपस्थित गुणागुणों का उल्लेख करने वाले निष्कर्षों को गुणागुणों पर अभिव्यक्त मत के रूप में नहीं समझा जाएगा व सभी दलीलों को विचारण के दौरान विचार करने हेतु स्वतंत्र छोड़ा गया है।

26. उपरोक्त कारणों से, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैः

i) प्रस्तुत अपील को मंजूर किया जाता है तथा इसमें आक्षेपित आवेदन संख्या 2718/2019 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 15.11.2019 को रद्द किया जाता है;

ii) यदि अपीलार्थी की किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है तो उसे ज़मानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया जाता है, यदि वह रु.2 लाख की राशि के ज़मानत पत्र के समान राशि के दो प्रतिभुओं सहित विद्वान विशेष न्यायाधीश की संतुष्टि हेतु भरता है तो;

iii) सीबीआई मामले में इस न्यायालय के आदेश द्वारा जमा किया गया पासपोर्ट जमा ही रहेगा तथा अपीलार्थी विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित विशिष्ट आदेश के बिना देश से बाहर नहीं जाएगा।

iv) अपीलार्थी आगे की जाँच के दौरान स्वयं को पूछताछ हेतु उपलब्ध कराएगा जब कभी भी प्रतिवादी द्वारा आवश्यक होगा।

v) अपीलार्थी साक्ष्य से छेड़छाड़ अथवा साक्षियों को भयभीत करने या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा;

vi) अपीलार्थी स्वयं की या अन्य सह-अभियुक्तों की हैसियत से न तो कोई प्रेस साक्षात्कार देगा और न ही वह इस अभियोग के संबंध में कोई सार्वजनिक टिप्पणी करेगा।

vii) जुर्माने संबंधी कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

.....(न्यायाधीश)

(आर. भानुमती)

.....(न्यायाधीश)

(ऋषिकेश रॉय)

नई दिल्ली,
दिसम्बर 04, 2019

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु *किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*

<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

फौज़दारी अपीलीय अधिकारिता

(फौज़दारी अपील संख्या 1831/2019)
<u>(एस.एल.पी.(फौज़दारी) संख्या 10493/2019 से उत्पन्न)</u>

पी. चिदंबरम .....अपीलार्थी (गण)

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय .....प्रतिवादी (गण)

<u>आदेश</u>

उपरोक्त मामले में निर्णय सुनाए जाने के उपरांत, प्रतिवादी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उपस्थित विद्वान महान्यायवादी, श्री तुषार मेहता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि निर्णय के निष्कर्षों का संभवतः अन्य अभियुक्तों से अभिप्राय न हो।

उपरोक्त तर्क को ध्यान में रखते हुए, हम यह स्पष्ट करते हैं कि निर्णय के निष्कर्ष, जैसा की ऊपर हैं, का अभियोग के अन्य अभियुक्तों से कोई अभिप्राय नहीं होगा व उस पर उसके स्वयं के गुणागुणों के आधार पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाएगा।

.....(न्यायाधीश)
(आर. भानुमती)

.....(न्यायाधीश)
(ए.एस. बोपन्ना)

.....(न्यायाधीश)
(ऋषिकेश रॉय)

नई दिल्ली,
दिसम्बर 04, 2019

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु *किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*